राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

अपील सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
13/2012	25.06.2012	20.05.2024

उनवान

1. प्रेम देवी पुत्री कल्याण पत्नी कैलाश जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम चोरडी तहसील व जिला दौसा राज. ।

–:अपीलाण्ट।

बनाम

1. भगवानसहाय पुत्र कल्याण ..... फौत।
   1/1 ललिता देवी पत्नी भगवानसहाय जाति ब्राहम्ण निवासी नांगल बोहरा तह0 बस्सी।
   1/2 गजानन्द पुत्र भगवानसहाय जाति ब्राहम्ण निवासी नांगल बोहरा तह0 बस्सी हाल निवासी विनायक विहार द्वितीय जामडोली आगरा रोड जयपुर।
   1/3 राकेश पुत्र भगवानसहाय जाति ब्राहम्ण निवासी नांगल बोहरा तह0 बस्सी हाल निवासी 38 ए सीतापुरी रामगढ मोड जयपुर।
   1/4 श्रीमती मैना देवी पुत्री भगवानसहाय पत्नी राजकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी नांगल बोहरा तह0 बस्सी हाल निवासी सदर बाजार कानोता तह0 बस्सी।
   1/5 उषा देवी पुत्री भगवानसहाय पत्नी रमेश कुमार शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी नांगल बोहरा तह0 बस्सी हाल रूक्मणी नगर विजयपुरा मार्ग आगारा रोड जयपुर।
2. हनुमानसहाय पुत्र कल्याण
3. रामबाबू पुत्र कल्याण
4. चन्द्रभान पुत्र कल्याण
5. मुकेश पुत्र जगदीश
6. मनीष पुत्र जगदीश समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम नांगल बोहरा तह0 बस्सी ।
7. ग्राम पंचायत पडासोली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ।
8. उपपंजीयक बस्सी तहसील बस्सी।

:–रैस्पोडेन्ट।

अपील अंतर्गत धारा 75 भू.राज. अधिनियम विरूद्व आज्ञा ग्राम पंचायत पडासोली, बाबत इंतकाल सं. 269 दिनांक 06.06.1989 वाके ग्राम नांगल बोहरा।

उपस्थितिः– 1 श्री कुलदीप शर्मा एड0 अपीलान्ट की ओर से।
2 श्री सुधीर शर्मा एड0 रेस्पा0 की ओर से।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई अपील के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैः–

अपीलान्ट ने अपील पेश कर निवेदन किया कि ख.नं. 199/1/01–07 बिस्वा,199/2/01–05 बिस्वा, 203/01–01 बिस्वा, 203/2/01–19 बिस्वा, 203/3/01–14 बिस्वा, 205/1/0–04 बिस्वा, 205/10/02–10 बिस्वा, 205/11/01–19 बिस्वा, 205/2/00–10 बिस्वा, 205/3/01–17 बिस्वा, 205/4/02–05 बिस्वा, 205/5/00–11 बिस्वा, 205/6/02–01 बिस्वा, 205/7/02–00 बिस्वा, 205/8/01–09 बिस्वा, 205/9/02–12 बिस्वा कुल किता 16 रकबा 25 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम नांगल बोहरा तह0 बस्सी अपीलान्ट के पिता कल्याण की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि रही है। कल्याण जी का देहावसान सन 1987 मे हो गया जिनके वारीसान व उतराधीकारी का सजरा खानदान दर्ज किया जा रहा है।

अपीलान्ट के दादा के भ्राता छीतर के कोई जायन्दा संतान नही थी इसलिए उन्होने रामेश्वर पुत्र सूज्या को गोद ले लिया था लेकिन रामेश्वर दत्तक पुत्र छीतर के भी कोई संतान नही हुई तथा उनकी मृत्यु उपरान्त रामेश्वर पि.मु. छीतर का 1/2 हिस्सा भी पिता अपीलार्थी मे निहीत हो गया इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण भूमि के खातेदार पिता अपीलार्थी स्व0 कल्याण पुत्र सूज्या हुये।

कल्याण की मृत्यु के उपरांत उनकी समस्त विरासत का इंतकाल उसके उपरोक्त वर्णित तीनों पुत्रियों, 05 पुत्रों व बेवा के नाम कल्याण के विधिक वारिस व उत्तराधिकारी होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नामान्तकरण तस्दीक किया जाना चाहिये था परन्तु रेस्पोडेन्ट के अधिनस्थ न्यायालय व राजस्व कर्मचारियों से साजबाज कल्याण की विरासत का नामान्तकरण उसके विधिक वारिसान के नाम तस्दीक न कराकर अपने नाम तस्दीक करा लिया,जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की जा रही है।

ग्राम पंचायत पडासौली का आदेश विधि विधान एवं तथ्यों प्रतिकुल होने के कारण निरस्तनीय है। मृत्य कल्याण की विरासत का नामान्तकरण तस्दीक करते समय अपीलार्थीया जो मृतक की जायन्दा पुत्री है को कोई सूचना नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया तथा ना ही मृतक के वारीसान की जाच की गई समस्त कार्यवाही गुपचुप व साजिशाना तौर पर की गई है। कल्याण का देहावसान हिन्दू उत्तारधिकार अधिनियम के प्रभाव मे आने के पश्चात हुआ था तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपीलार्थीया मृतक कल्याण की प्रथम श्रेणी की वारीस है और मृतक कल्याण की संपति मे उसके हित व अधिकार निहित है। परन्तु रेस्पा. नम्बर 07 ने कल्याण की जायन्दा पुत्री को दरकिनार कर नामान्तकरण अवैध रूप से तस्दीक किया है जो निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीया को बिना सुने बिना नोटिस दिए नामान्तकरण स्वीकार किया है जो स्वतः ही कानूनन निरस्तनीय है।

अपीलार्थीया को अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी रेस्पो0 द्वारा दिनांक 20.06.2012 को खातेदारी अपने नाम दर्ज होना जाहिर करने व दिनांक 21.06.12 को हल्का पटवारी से नामान्तकरण व राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त करने पर हुई है। जिसके पश्चात अपीलार्थीया को वास्तविक जानकारी हुई है तथा नकल प्राप्त होते ही प्रार्थीया की जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है।

उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण की सर्वप्रथम जानकारी प्रार्थीया को सर्वप्रथम दिनांक 20.06.2012 को हुई इससे पूर्व कोई इल्म अपीलाण्ट को नही होने दिया गया इसलिए अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है तथा यदि किसी भी प्रकार की देरी हुई मानी भी जावे तो डिले कन्डोन हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीया स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 269 दिनांक 06.06.1989 जो ग्राम पंचायत पडासौली द्वारा तस्दीक किया गया है कि निरस्त फरमाया जाकर मृतक कल्याण की विरासत का नामान्तकरण उसके सभी वारिसान के नाम तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिए सम्मन तलब किया गया। बाद तामील रेस्पा0 उपस्थित हुए।

प्रार्थना पत्र दफा 05 कानूनी मियाद पर उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया अपीनाधीन इंतकाल ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 06.06.1989 को निर्णित किया गया है जिसकी अपील अपीलान्टा द्वारा दिनांक 25.06.2012 को पेश की गई है। यह अपील लगभग 23 वर्ष बाद विलम्ब से पेश कि गई है। अपीलान्टा द्वारा प्रार्थना पत्र मे विलम्ब का कोई स्पष्ट उल्लेख नही किया है। अपीलान्टा ने यह भी स्पष्ट नही किया है कि किन कारणों से उन्हें अपीलाधीन इंतकाल के निणर्य की जानकारी नही हो पाई। ऐसी स्थिति मे अपीलान्टा को दफा 05 कानूनी मियाद का लाभ दिया जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थना पत्र दफा 05 कानूनी मियाद खारिज योग्य है।

अतः आदेश है कि:–

अपीलान्टा का प्रार्थना पत्र दफा 05 कानूनी मियाद खारिज किया जाकर अपीलान्टा की अपील बाबत इंतकाल सं. 296 दिनांक 06.06.1989 वाके ग्राम नांगल बोहरा मियाद बाहर होने के कारण अपील अपीलान्टा खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 20.05.2024 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

20/5/2024

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बसवा (जयपुर ग्रामीण)